न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/166 दायरा दिनांक : 16.09.2022

उनवान

जैबुन बी पत्नि हाफिज शरीफ, जाति फकीर (मुसलमान), निवासी पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1– हसीना बी पत्नि हाफिज रफीक, जाति फकीर (मुसलमान), निवासी पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री इकबाल अहमद अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.10.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 16/2022/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 04.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिडावा, पटवार हल्का पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ में खाता संख्या नया 191 व पुराना 179 खसरा नम्बर 21 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि जो प्रार्थिया व अप्रार्थी नम्बर 1 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 04.05.2022 से उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे ता फैसला मूल वाद तक ग्राम पिडावा की जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता सं. 191 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलांदजी नहीं करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय मनमाना, केप्रिशियस व परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी को अपने हिस्से की आराजी को बेचने का पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने सम्बन्धित विधि विरूद्ध आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी अपने हिस्से की आराजी को बेचने के लिये कानूनन स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर न्यायहित में निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.05.2022 अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अपने हिस्से की आराजी के रेकार्ड की यथास्थिति (विक्रय या अन्तरण सम्बन्धी रोक) आदेश पारित किये हैं, उसे अपास्त फरमाया जावे।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि विवादग्रस्त भूमि पड़त है और अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 के शामलाती खातेदारी व कब्जे की भूमि है, दोनों का हिस्सा 1/2 – 1/2 का है। दोनों पक्षकारान जिठानी देवरानी है। दोनों पक्षकारान ने दिनांक 23.02.2004 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा भूमि खरीद की गई है और दोनों के नाम संयुक्त रूप से इंतकाल नं. 1552 से विवादग्रस्त भूमि खातेदारी में दर्ज की गई है। दोनों के मध्य विधिवत बंटवारा होना बाकी है। यदि दौराने वाद कोई पक्षकार भूमि खुर्द–बुर्द कर दे तो दोनों पक्षकारान के मध्य वाद बहुत बढेगा। इस कारण से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने मूल वाद के निर्णय तक दोनों पक्षकारों को विवादग्रस्त आराजी की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति की यथास्थिति बनाये रखने का जो आदेश दिनांक 04.05.2022 को पारित किया है, वो सही व विधि पूर्ण है तथा यथास्थिति कायम रखने में किसी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश जेर अपील 04.05.2022 को पारित किया है, वो विधि सम्मत व सही है और इस कारण से अपीलांट की अपील निरस्त कर खारिज की जावे। रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2020 आर.आर.डी. पेज 132 किशन वगैराह बनाम निर्भय वगैराह प्रस्तुत की । अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के आदेश दिनांक 04.05.2022 को यथावत रखकर उसकी पुष्टि की जाए।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8 बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनने, प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया गया कि प्रतिवादी अपीलांट व वादी रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं। वादी रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में मूल वाद 188, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में दायर किया हुआ है। इस मूल वाद के साथ वादी रेस्पोडेंट द्वारा धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 04.05.2022 से उभयपक्षकारान को राजस्व रेकार्ड के अनुसार सहखातेदारान होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए ता फैसला मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया है।

9 उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण मूल वाद में किया जाना है। यदि दौराने वाद कोई सहखातेदार वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर देता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढ़ेगी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से किसी भी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

10 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2022 यथावत रखा जाता है ।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा